



कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा कौशल भवन, सेक्टर-3, पंचकूला



उद्यमी युवा-सम्मानित हुआ

हरियाणा राज्य में स्थित राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षित युवाओं में स्वरोजगार स्थापित करने की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा पुरस्कार देने की योजना बनाई गई है जिसके तहत प्रत्येक वर्ष प्रत्येक जिले में गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर अपना सफल उद्यम स्थापित करने एवं चलाने में प्रथम विजेता उम्मीदवार को 10,000 रुपये, द्वितीय विजेता उम्मीदवार को 7,500 रुपये और तृतीय विजेता उम्मीदवार को 5,000 रुपये की नकद राशि एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।

इसके लिए आवेदन अक्टूबर-दिसम्बर में प्रारम्भ होंगे। इसके नियम व पात्रता मापदंड नीचे दिए गए हैं।

नियम एवं शर्तें:

- आवेदक का व्यवसाय उसी क्षेत्र में होना चाहिए जिस क्षेत्र में उसने आई.टी.आई. उत्तीर्ण की हो।
- व्यवसाय हरियाणा राज्य अथवा चण्डीगढ़ में किसी भी स्थान पर आई.टी.आई. उत्तीर्ण करने उपरान्त 1 से 4 वर्ष के भीतर-भीतर शुरू होना चाहिए।
- पैतृक व्यवसाय ग्रहण नहीं किया होना चाहिए।
- कम से कम एक वर्ष तक प्रति माह 20,000/- रुपये आमदन होना अनिवार्य है।
- अगर व्यवसाय साझेदारी में है, तो आवेदक का मुख्य भूमिका होनी चाहिए।
- यदि आप अलग-2 व्यवसायों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो कृपया अलग व्यवसाय के लिए अलग आवेदन पत्र जमा करें।
- आवश्यक योग्यता, चयन मापदंड, जी0एस0टी0 न0./टी0आई0एन0 न0./टी0ए0एन0 न0. बैलेंस शीट, आयकर/जी0एस0टी0 रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट) और अन्य दस्तावेजों को आवेदन करने से पहले इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न (स्वयं सत्यापित) करना होगा।
- यह विभाग बिना कोई कारण बताए पुरस्कार/सम्मान की प्रक्रिया को वापस लेने/रद्द करने और किसी भी स्तर पर किसी भी नियम और शर्तों को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- आवेदन अंतिम तिथि से पहले जिला मुख्यालय आईटीआई में दस्ती जमा होना/होने चाहिए।